भारत के राजपत्र, असाधारण के भाग I, खंड I में प्रकाशनार्थ

फा. सं. 6/13/2025- डीजीटीआर
भारत सरकार
वाणिज्य विभाग
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
(व्यापार उपचार महानिदेशालय)
4 वीं मंजिल, जीवन तारा भवन, संसद मार्ग, नई दिल्ली - 110001

दिनांक: 29 सितंबर, 2025

जांच शुरुआत अधिसूचना

मामला सं. एडी (ओआई) - 13/2025

विषय: चीन में उद्भूत अथवा वहां से निर्यात किए जाने वाले "मोबाइल कवर" के आयात से संबंधित पाटनरोधी जांच शुरू करना।

1. **फा. सं. 6/13/2025- डीजीटीआर**: सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975, समय-समय पर संशोधित (इसके बाद "अधिनियम" के रूप में संदर्भित) और सीमा शुल्क टैरिफ (डंप की गई वस्तुओं पर एंटी-डंपिंग शुल्क की पहचान, मूल्यांकन और संग्रह और क्षति के निर्धारण के लिए) नियम, 1995 के संबंध में, जैसा कि समय-समय पर संशोधित किया गया है (इसके बाद "नियम" के रूप में संदर्भित), ऑल इंडिया मोबाइल कवर मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन (इसके बाद "आवेदक" या "आवेदक" के रूप में संदर्भित किया गया है) एसोसिएशन") ने नामित प्राधिकारी (इसके बाद "प्राधिकारी" के रूप में संदर्भित) के आयात पर एंटी-डंपिंग जांच शुरू करने के लिए एक आवेदन दायर किया है (इसके बाद "विचाराधीन उत्पाद" या "पीयूसी" या "विषय सामान" के रूप में संदर्भित), चीन पीआर (इसके बाद "विषय देश" के रूप में संदर्भित) से उत्पन्न या निर्यात किया गया।

2. आवेदक ने आरोप लगाया है कि संबंधित देश से विचाराधीन उत्पाद की डंपिंग से घरेलू उद्योग को भौतिक क्षति हो रही है और उसने संबंधित देश से विचाराधीन उत्पाद के

आयात पर डंपिंग रोधी शुल्क लगाने का अनुरोध किया है।

क. <u>विचाराधीन उत्पाद</u>

3. वर्तमान एप्लिकेशन में विचाराधीन उत्पाद "मोबाइल कवर" है जिसे मोबाइल फोन के लिए मोबाइल फोन केस, स्मार्टफोन केस, सुरक्षात्मक मोबाइल शेल, मोबाइल फोन सुरक्षा कवर के रूप में भी जाना जाता है। ये सुरक्षात्मक सहायक उपकरण हैं जो आम तौर पर स्मार्टफोन सहित मोबाइल फोन को शारीरिक क्षति से बचाने और बचाने के लिए डिज़ाइन किए गए हैं। मोबाइल कवर का उपयोग एक सहायक उपकरण के रूप में भी किया जाता है और उपयोगकर्ताओं की व्यक्तिगत शैली में योगदान देता है। वे कार्यात्मक हैं और एक व्यक्तिगत सहायक के रूप में काम करते हैं। मोबाइल कवर कई डिज़ाइन, रंगों और पैटर्न में उपलब्ध हैं।

<u>माप की इकाई</u>

4. विषयगत वस्तुओं का उत्पादन और बिक्री सामान्यतः संख्या के रूप में की जाती है, इसलिए इस जांच के लिए माप की इकाई को संख्या (संख्या) के रूप में लिया गया है।

<u>टैरिफ वर्गीकरण</u>

5. विचाराधीन उत्पाद में एक समर्पित सीमा शुल्क वर्गीकरण नहीं है। विषय वस्तुओं का आयात अध्याय 39 और अध्याय 85 के तहत उप शीर्षक 392690, 392610, 392640, 392620, 851779, 851769 और 851770 के तहत विभिन्न संहिताओं के तहत किया जा रहा है। कस्टम वर्गीकरण केवल सांकेतिक है और वर्तमान जांच में विचाराधीन उत्पाद के दायरे पर किसी भी तरह से बाध्यकारी नहीं है।

6. वर्तमान जांच के पक्षकार पीयूसी के दायरे पर अपनी टिप्पणियां प्रदान कर सकते हैं और जांच शुरू करने की सूचना प्राप्त होने के 15 दिनों के भीतर उत्पाद नियंत्रण संख्या (पीसीएन) पद्धति, यदि कोई हो, का प्रस्ताव कर सकते हैं।

ख. <u>समान वस्तु</u>

7. आवेदक ने प्रस्तुत किया है कि आवेदक द्वारा उत्पादित और विषय देश से निर्यात किए गए विषय वस्तुओं में कोई महत्वपूर्ण अंतर नहीं है और दोनों लेख की तरह हैं। आवेदक द्वारा उत्पादित और संबंधित देश से आयातित उत्पाद आवश्यक उत्पाद विशेषताओं जैसे भौतिक और रासायनिक विशेषताओं, विनिर्माण प्रक्रिया और प्रौद्योगिकी, कार्यों और उपयोग, उत्पाद विनिर्देशों, मूल्य निर्धारण, वितरण और विपणन और माल के टैरिफ वर्गीकरण के संदर्भ में तुलनीय हैं। उपभोक्ता दोनों का परस्पर उपयोग कर सकते हैं और उपयोग कर रहे हैं। दोनों तकनीकी और व्यावसायिक रूप से प्रतिस्थापन योग्य हैं, और इसलिए, नियमों के तहत 'समान लेख' के रूप में माना जाना चाहिए। इस प्रकार, वर्तमान जांच शुरू करने के प्रयोजनों के लिए, आवेदक द्वारा उत्पादित वस्तु को *प्रथम दृष्टया* विषय देश से आयात किए जा रहे उत्पाद के लिए वस्तु के समान माना गया है।

ग. <u>विषय देश</u>

8. वर्तमान जांच में विषय देश चीन पीआर है।

घ. <u>जांच की अवधि</u>

9. वर्तमान जांच के लिए प्राधिकारी द्वारा अपनाई गई जांच की अवधि (पीओआई) 1 अप्रैल 2024 से 31 मार्च 2025 (12 महीने) तक है। क्षति परीक्षा की अवधि 1 अप्रैल 2021-31 मार्च 2022, 1 अप्रैल 2022 - 31 मार्च 2023, 1 अप्रैल 2023 - 31 मार्च 2024 और पीओआई की अवधि को कवर करती है।

ङ. <u>घरेलू उद्योग और स्थिति</u>

10. यह आवेदन ऑल इंडिया मोबाइल कवर मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन (एआईएमसीएमए) द्वारा दायर किया गया है। आवेदक संघ की निम्नलिखित सदस्य कंपनियों- एकॉर्ड प्लास्टिक, डीएस मोबिकेस, जेपी केस, उगम इंडस्ट्रीज, उगाम मैन्युफैक्चरिंग, झेन्यू टेक्नोलॉजी प्राइवेट

लिमिटेड, एसके इंडस्ट्रीज, गायत्री इंडस्ट्रियल कॉर्पोरेशन, केके प्रोडक्ट, एच एंड के कवर, जे मार्ट ऑनलाइन, एसआर प्लास्टिक, बालाजी इनमोल्ड, विद्या पॉलिमर्स, सन पॉलीप्लास्ट, पवनसुत प्लास्टोपैक और टीके केस ("इसके बाद "आवेदक कंपनियां") ने वर्तमान जांच के उद्देश्य के लिए आवश्यक जानकारी प्रदान की है।

11. आवेदक संघ विषय वस्तुओं के उत्पादकों का प्रतिनिधित्व करता है। आवेदक कंपनियाँ द्वारा प्रदान की गई जानकारी के अनुसार, आवेदक कंपनियाँ का उत्पादन भारत में इस तरह की वस्तु के कुल घरेलू उत्पादन का 'प्रमुख अनुपात' है। आवेदक कंपनियों ने न तो विषय देश से विषय वस्तुओं का आयात किया है और न ही विषय देश में विषय वस्तुओं के किसी निर्यातक या निर्माता या भारत में विचाराधीन उत्पाद के किसी आयातक से संबंधित हैं।

12. प्राधिकारी ने कहा कि भारतीय उद्योग प्रकृति में खंडित है, और एमएसएमई श्रेणी से संबंधित है। रिकॉर्ड पर जानकारी से पता चलता है कि एआईएमसीएमए 43 उत्पादकों का प्रतिनिधित्व करता है, जिनमें से 17 निर्माताओं ने क्षति की जानकारी प्रदान की है। यह भी प्रस्तुत किया जाता है कि आवेदक ने न तो विषय देश से विषय वस्तुओं का आयात किया है और न ही विषय देश में किसी भी निर्यातक या निर्माता या भारत में किसी भी आयातक से संबंधित है। इसलिए, रिकॉर्ड पर उपलब्ध जानकारी के आधार पर, प्राधिकारी *प्रथम दृष्टया* संतुष्ट है कि अभ्यावेदन नियमों के नियम 2 (बी) में निहित प्रावधानों के संदर्भ में घरेलू उद्योग द्वारा या उसकी ओर से किया गया है और आवेदन नियमों के नियम 5 (3) के संदर्भ में खड़े होने के मानदंडों को पूरा करता है।

13. इसके अलावा, एमएसएमई और उद्योग की खंडित प्रकृति और इसमें शामिल उत्पादकों की संख्या को ध्यान में रखते हुए, प्राधिकारी, व्यापार नोटिस 09/2021 दिनांक 29 जुलाई 2021 के संदर्भ में, व्यापार नोटिस में संदर्भित अनुलग्नक I के अनुसार घरेलू उत्पादकों से जानकारी मांगता है, जिसके आधार पर प्राधिकारी इंजरी मार्जिन के निर्धारण के उद्देश्य से घरेलू उत्पादकों का नमूना लेगा। इसलिए, जबकि घरेलू उद्योग का गठन करने वाले सभी उत्पादकों से संबंधित जानकारी पर क्षति विश्लेषण के लिए विचार किया जाएगा, गैर-

हानिकारक मूल्य और क्षति मार्जिन एक नमूने के डेटा के आधार पर निर्धारित किया जाएगा।

च. <u>कथित डंपिंग का आधार</u>

क. चीन पीआर के लिए सामान्य मूल्य

14. आवेदकों ने चीन के परिग्रहण प्रोटोकॉल के अनुच्छेद 15 (ए) (i) और एंटी-डंपिंग नियम, 1995 के अनुलग्नक-I के पैरा 7 का हवाला दिया है और भरोसा किया है, चीनी उत्पादकों के लिए सामान्य मूल्य चीन पीआर में प्रचलित लागत या घरेलू बिक्री मूल्य के आधार पर निर्धारित किया जा सकता है, केवल तभी जब जवाब देने वाले चीनी उत्पादक यह प्रदर्शित करते हैं कि उनकी लागत और मूल्य की जानकारी बाजार संचालित सिद्धांतों पर आधारित है और पैरा 1 के संदर्भ में उचित तुलना की अनुमति देती है एडी नियमों के अनुलग्नक-I की धारा 6 तक, जिसमें विफल रहने पर, चीनी उत्पादकों के लिए सामान्य मूल्य नियमों के अनुलग्नक-I के पैरा 7 और 8 के आधार पर निर्धारित किया जाना चाहिए।

15. आवेदक ने प्रस्तुत किया है कि बाजार अर्थव्यवस्था में लागत या मूल्य से संबंधित डेटा तीसरे देश या अन्य वैकल्पिक तरीकों का सहारा लेने के लिए उपलब्ध नहीं है। उस मूल्य के संबंध में जिस पर विचाराधीन उत्पाद को बाजार अर्थव्यवस्था तीसरे देश से भारत सहित किसी अन्य देश को बेचा गया है, यह प्रस्तुत किया जाता है कि अन्य देशों से आयात की मात्रा सामान्य मूल्य के आधार के रूप में विचार करने के लिए पर्याप्त मात्रा में नहीं है। इसलिए आवेदक ने उचित लाभ को शामिल करने के लिए विधिवत समायोजित करने के बाद उपलब्ध सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार विषय वस्तुओं के घरेलू उद्योग की उत्पादन लागत के सर्वोत्तम अनुमानों के आधार पर सामान्य मूल्य निर्धारित किया है।

16. जांच शुरुआत के प्रयोजन के लिए, आवेदक द्वारा दावा की गई सामान्य मूल्य पद्धति पर जांच शुरुआत के उद्देश्य से विचार किया गया है।

ख. निर्यात मूल्य

17. निर्यात मूल्य के निर्धारण के लिए, प्राधिकारी ने डीजीसीआईएंडएस से खरीदे गए लेन-देन के अनुसार आयात डेटा पर विचार किया है। सीआईएफ की कीमतों को समुद्री माल ढुलाई, समुद्री बीमा, कमीशन, बैंक शुल्क, बंदरगाह व्यय, हैंडलिंग शुल्क और अंतर्देशीय माल ढुलाई व्यय के लिए समायोजित किया गया है ताकि सर्वोत्तम उपलब्ध जानकारी पर पूर्व-कारखाना निर्यात मूल्य निर्धारित किया जा सके।

ग. डंपिंग मार्जिन

18. तदनुसार, सामान्य मूल्य और ऊपर गणना किए गए निर्यात मूल्य के आधार पर, प्रथम *दृष्टया* पर्याप्त प्रमाण है कि विषय देश में विषय वस्तुओं का सामान्य मूल्य एक्स-फैक्ट्री निर्यात मूल्य से अधिक है, यह दर्शाता है कि विषय वस्तुओं को संबंधित देश के निर्यातकों द्वारा भारतीय बाजार में डंप किया जा रहा है। डंपिंग मार्जिन न्यूनतम से अधिक होने का अनुमान है/

छ. <u>क्षति और कारण लिंक</u>

19. प्राधिकारी के पास उपलब्ध सूचना के आधार पर, *प्रथम दृष्टया* यह नोट किया गया है कि भारतीय उद्योग क्षति की अवधि के दौरान पूर्ण और सापेक्ष रूप से डंप किए गए आयातों की बढ़ी हुई मात्रा के रूप में कथित डंपिंग के परिणामस्वरूप घायल हो रहा है। विषय आयात का लैंडेड मूल्य पीओआई में घरेलू उद्योग की कीमतों को कम कर रहा है और दबा रहा है। क्षति की अवधि के दौरान घरेलू उद्योग की बाजार हिस्सेदारी में काफी गिरावट आई है। आवेदक ने यह भी दावा किया है कि डंप किए गए आयातों की प्रतिकूल मात्रा और मूल्य प्रभाव के कारण, नकद लाभ, लाभ, निवेश पर रिटर्न आदि के संबंध में उनका प्रदर्शन खराब हो गया है। प्रथम *दृष्टया* इस बात के पर्याप्त प्रमाण हैं कि संबंधित देश से पाटित आयातों के कारण घरेलू उद्योग को भौतिक क्षति हुई है।

ज. <u>डंपिंग रोधी जांच की शुरुआत</u>

20. घरेलू उद्योग द्वारा निर्धारित प्रपत्र और तरीके से दायर किए गए विधिवत प्रमाणित लिखित आवेदन के आधार पर, और संबंधित देश में उत्पन्न होने वाली या निर्यात की गई वस्तु-वस्तुओं की डंपिंग के बारे में घरेलू उद्योग द्वारा प्रस्तुत प्रथम दृष्टया साक्ष्य के आधार पर संतुष्ट होने के बाद, घरेलू उद्योग को नुकसान और इस तरह के कथित डंपिंग और क्षति के बीच कारण संबंध, और एडी नियमों के नियम 5 के साथ पठित अधिनियम की धारा 9ए के अनुसार, प्राधिकारी, एतद्द्वारा, विषय देश में उत्पन्न होने वाली या निर्यात की गई वस्तु के संबंध में कथित डंपिंग के अस्तित्व, डिग्री और प्रभाव को निर्धारित करने और एंटी-डंपिंग शुल्क की राशि की सिफारिश करने के लिए एक एंटी-डंपिंग जांच शुरू करता है, जो यदि लगाया जाता है, तो घरेलू उद्योग को होने वाली क्षति को दूर करने के लिए पर्याप्त होगा।

झ. <u>प्रक्रिया</u>

21. इस जांच में एडी नियमों के नियम 6 में निर्धारित प्रावधानों का पालन किया जाएगा।

ञ. <u>जानकारी प्रस्तुत करना</u>

22. सभी संचार ईमेल पते- adv13-dgtr@gov.in, dir14-dgtr@gov.in, dd12-dgtr@gov.in और consultant-dgtr@govcontractor.in पर ईमेल के माध्यम से नामित प्राधिकारी को भेजा जाना चाहिए। यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि सबमिशन का वर्णनात्मक भाग खोजने योग्य पीडीएफ/एमएस-वर्ड प्रारूप में है और डेटा फाइलें एमएस-एक्सेल प्रारूप में हैं।

23. संबंधित देश में ज्ञात उत्पादकों/निर्यातकों, भारत में अपने दूतावास के माध्यम से संबंधित देश की सरकार, भारत में आयातकों और उपयोगकर्ताओं को जो विषय वस्तुओं से जुड़े होने के लिए जाने जाते हैं, को अलग से सूचित किया जा रहा है ताकि वे इस आरंभ अधिसूचना में उल्लिखित समय सीमा के भीतर सभी प्रासंगिक जानकारी दर्ज कर सकें।

ऐसी सभी जानकारी इस दीक्षा अधिसूचना, नियमों और प्राधिकारी द्वारा जारी लागू व्यापार नोटिस द्वारा निर्धारित रूप और तरीके से दर्ज की जानी चाहिए।

24. कोई अन्य इच्छुक पक्ष भी इस दीक्षा अधिसूचना में उल्लिखित समय सीमा के भीतर इस दीक्षा अधिसूचना, नियमों और प्राधिकारी द्वारा जारी किए गए लागू व्यापार नोटिस द्वारा निर्धारित रूप और तरीके से वर्तमान जांच के लिए प्रासंगिक प्रस्तुति दे सकता है।

25. प्राधिकारी के समक्ष कोई भी गोपनीय प्रस्तुति देने वाले किसी भी पक्ष को अन्य इच्छुक पार्टियों को इसका गैर-गोपनीय संस्करण उपलब्ध कराना आवश्यक है।

26. इच्छुक पार्टियों को निर्देश दिया जाता है कि वे नियमित रूप से डीजीटीआर (https://www.dgtr.gov.in/) की वेबसाइट पर जाएं ताकि वे विषय की जांच में आगे के घटनाक्रमों से अवगत रहें और प्रश्नावली प्रारूपों, पीसीएन पद्धति, पीसीएन चर्चा/बैठक कार्यक्रम, मौखिक सुनवाई की सूचना, शुद्धिपत्र, संशोधन अधिसूचनाओं और ऐसी अन्य जानकारी के संबंध में समय-समय पर जारी किए जा सकने वाले नोटिसों के बारे में सूचित रहें।

ट. <u>समय सीमा</u>

27. वर्तमान जांच से संबंधित कोई भी जानकारी नामित प्राधिकारी को ईमेल पते- adv13-dgtr@gov.in, dir14-dgtr@gov.in, dd12-dgtr@gov.in और consultant-dgtr@govcontractor.in पर ईमेल के माध्यम से उस तारीख से 30 दिनों के भीतर भेजी जानी चाहिए, जिस दिन इसे नामित प्राधिकारी द्वारा भेजा गया था या एडी नियमों के नियम 6 (4) के अनुसार निर्यातक देश के उपयुक्त राजनयिक प्रतिनिधि को प्रेषित किया गया था। यदि निर्धारित समय सीमा के भीतर कोई सूचना प्राप्त नहीं होती है या प्राप्त जानकारी अधूरी है, तो प्राधिकारी रिकॉर्ड पर उपलब्ध तथ्यों के आधार पर और एडी नियमों के अनुसार अपने निष्कर्ष दर्ज कर सकता है।

28. सभी इच्छुक पार्टियों को सलाह दी जाती है कि वे इस मामले में अपनी रुचि (रुचि की प्रकृति सहित) को सूचित करें और इस अधिसूचना में निर्धारित उपरोक्त समय सीमा के भीतर अपनी प्रश्नावली प्रतिक्रियाएं दाखिल करें।

ठ. <u>गोपनीय आधार पर जानकारी प्रस्तुत करना</u>

29. प्राधिकारी के समक्ष गोपनीय आधार पर कोई गोपनीय प्रस्तुतीकरण करने या जानकारी प्रदान करने वाले किसी भी पक्ष को नियमों के नियम 7(2) के अनुसार और इस संबंध में प्राधिकारी द्वारा जारी प्रासंगिक व्यापार नोटिस के अनुसार उसी जानकारी का एक गैर-गोपनीय संस्करण प्रस्तुत करना आवश्यक है। उपरोक्त का पालन करने में विफलता के कारण प्रतिक्रिया/प्रस्तुतियाँ अस्वीकृत हो सकती हैं।

30. प्रश्नावली के उत्तरों सहित प्राधिकारी के समक्ष कोई भी प्रस्तुतीकरण (परिशिष्ट/अनुलग्नक सहित) करने वाले पक्षों को गोपनीय और गैर-गोपनीय संस्करण अलग-अलग दाखिल करने की आवश्यकता होती है।

31. इस तरह के सबमिशन को प्रत्येक पृष्ठ के शीर्ष पर 'गोपनीय' या 'गैर-गोपनीय' के रूप में स्पष्ट रूप से चिह्नित किया जाना चाहिए। इस तरह के अंकन के बिना किए गए किसी भी सबमिशन को प्राधिकारी द्वारा 'गैर-गोपनीय' जानकारी के रूप में माना जाएगा, और प्राधिकारी अन्य इच्छुक पार्टियों को इस तरह के सबमिशन का निरीक्षण करने की अनुमति देने के लिए स्वतंत्र होगा।

32. गोपनीय संस्करण में वह सभी जानकारी शामिल होगी जो स्वभाव से, गोपनीय और/या अन्य जानकारी है, जो ऐसी जानकारी के आपूर्तिकर्ता गोपनीय होने का दावा करता है। उस जानकारी के लिए जो प्रकृति से गोपनीय होने का दावा किया जाता है, या वह जानकारी जिस पर अन्य कारणों से गोपनीयता का दावा किया जाता है, जानकारी के आपूर्तिकर्ता को आपूर्ति की गई जानकारी के साथ एक अच्छा कारण विवरण प्रदान करना आवश्यक है कि ऐसी जानकारी का खुलासा क्यों नहीं किया जा सकता है।

33. इच्छुक पार्टियों द्वारा दायर की गई जानकारी का गैर-गोपनीय संस्करण गोपनीय जानकारी के साथ गोपनीय संस्करण की प्रतिकृति होना आवश्यक है, अधिमानतः अनुक्रमित या खाली (जहां इंडेक्सेशन संभव नहीं है) और ऐसी जानकारी को उचित और पर्याप्त रूप से संक्षेप में प्रस्तुत किया जाना चाहिए, जो उस जानकारी पर निर्भर करती है जिस पर गोपनीयता का दावा किया जाता है। गोपनीय आधार पर प्रस्तुत जानकारी के सार की उचित समझ की अनुमति देने के लिए गैर-गोपनीय सारांश पर्याप्त विवरण में होना चाहिए। हालांकि, असाधारण परिस्थितियों में, गोपनीय जानकारी प्रस्तुत करने वाली पार्टी यह संकेत दे सकती है कि ऐसी जानकारी सारांश के लिए अतिसंवेदनशील नहीं है, और पर्याप्त और पर्याप्त स्पष्टीकरण वाले कारणों का एक बयान जिसमें इस तरह का सारांश संभव क्यों नहीं है, प्राधिकारी की संतुष्टि के लिए प्रदान किया जाना चाहिए।

34. इच्छुक पार्टियां दस्तावेजों के गैर-गोपनीय संस्करण के प्रचलन की तारीख से 7 दिनों के भीतर अन्य इच्छुक पार्टियों द्वारा दावा की गई गोपनीयता के मुद्दों पर अपनी टिप्पणियां दे सकती हैं।

35. प्राधिकारी प्रस्तुत की गई जानकारी की प्रकृति की जांच करने पर गोपनीयता के अनुरोध को स्वीकार या अस्वीकार कर सकता है। यदि प्राधिकारी संतुष्ट है कि गोपनीयता के लिए अनुरोध की आवश्यकता नहीं है या यदि सूचना का आपूर्तिकर्ता या तो जानकारी को सार्वजनिक करने या सामान्यीकृत या सारांश रूप में इसके प्रकटीकरण को अधिकृत करने के लिए तैयार नहीं है, तो वह ऐसी जानकारी की अवहेलना कर सकता है।

36. गोपनीयता के दावे पर एक सार्थक गैर-गोपनीय संस्करण या एक अच्छे कारण के बयान के बिना किए गए किसी भी सबमिशन को प्राधिकारी द्वारा रिकॉर्ड पर नहीं लिया जाएगा।

ड. <u>सार्वजनिक फ़ाइल का निरीक्षण</u>

37. डीजीटीआर की वेबसाइट पर पंजीकृत इच्छुक पार्टियों की एक सूची अपलोड की जाएगी, साथ ही उनमें से सभी से अनुरोध किया जाएगा कि वे अपनी प्रस्तुतियों/प्रतिक्रियाओं/सूचनाओं के गैर-गोपनीय संस्करण को अन्य सभी इच्छुक पार्टियों

को ईमेल करें। प्रस्तुतियों/प्रतिक्रियाओं/सूचनाओं के गैर-गोपनीय संस्करण को प्रसारित करने में विफलता के कारण किसी इच्छुक पक्ष को गैर-सहयोगी माना जा सकता है।

ढ. <u>असहयोग</u>

38. यदि कोई इच्छुक पक्ष इस आरंभिक अधिसूचना में प्राधिकारी द्वारा निर्धारित उचित अवधि के भीतर या निर्धारित समय के भीतर आवश्यक जानकारी प्रदान करने से इनकार करता है और अन्यथा आवश्यक जानकारी प्रदान नहीं करता है, या जांच में महत्वपूर्ण रूप से बाधा डालता है, तो प्राधिकारी ऐसे इच्छुक पक्ष को गैर-सहयोगी घोषित कर सकता है और उपलब्ध तथ्यों के आधार पर अपने निष्कर्षों को रिकॉर्ड कर सकता है और केंद्र सरकार को ऐसी सिफारिशें कर सकता है जो वह उचित समझे।

सिद्धार्थ

(सिद्धार्थ महाजन)

निर्दिष्ट प्राधिकारी